E Content for Student of Patliputra University

B.A. (Hons.) Part I Paper-I

Subject - Political science

Title - संप्रभुता का एकत्ववादी सिद्धांत

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof., Political Science
R.R.S. College, Mokama

राज्य के सर्वाधिक आवश्यक तत्व के रूप में सम्प्रभुता का स्थान माना जाता है। अन्य तत्वों के रहने के बावजूद सम्प्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। फलस्वरूप सम्प्रभुता राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सम्प्रभुता की व्याख्या के क्रम में इसके दो स्वरूप की चर्चा की जाती है - एकत्ववादी एवं बहुलवादी दृष्टिकोण। एकत्ववादी दृष्टिकोण संप्रभुता की अवधारणा के शास्त्रीय स्वरूप को स्पष्ट करता है। जबकि इसकी त्रुटियों एवं व्यवहारिक कठिनाईयों के आधार पर बहुलवादी दृष्टिकोण को मान्यता दी जाती है।

संप्रभुता के सर्वप्रथम व्याख्याकार जीन बोदां ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि- "सम्प्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो।" गार्नर के अनुसार "सम्प्रभुता राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अन्तर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं।"

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में सम्प्रभुता की अवधारणा को एक पाश्चात्य अवधारणा के रूप में बतलाया जाता है। प्राचीन भारत में "शांतिपर्व" तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सम्प्रभुता शब्द का उपयोग नहीं करते हुए भी इस अवधारणा को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में स्पष्ट किया गया है। इनकी व्याख्याओं में "राजा" संप्रभुता संपन्न है। अर्थात वर्तमान संप्रभु के रूप में "राजा" समस्त लक्षणों, तत्वों एवं शक्तियों से युक्त है, उसके निर्णय प्रभावी हैं।

Scanned with CamScanner

संप्रभुता के एकत्ववादी दृष्टिकोण की कानूनी व्याख्या ग्रोस्टीन ने की है। इसके अनुसार, "यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञापालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति सम्पन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है।"

संप्रभुता की उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर इसके एकत्ववादी दृष्टिकोण की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई जा सकती हैं।

(1) निरंकुशता (Absoluteness) – संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो निरपेक्ष एवं निरंकुश होती है। आंतरिक एवं वाह्य कोई भी शक्ति उसके ऊपर नहीं है। उसकी आज्ञा सर्वोच्च है और सभी उसके पालन के लिए बाध्य हैं। उसकी सर्वोच्च शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती है। वाह्य क्षेत्र में भी वह अपनी विदेश नीति, सैन्य नीति, संधि और समझौते, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हर राष्ट्र को दूसरे की संप्रभुता का आदर करना होता है।

2. मौलिकता (Originality) – मौलिकता से आशय है कि राज्य की संप्रभुता मौलिक रूप से उसे प्राप्त है। संप्रभुता किसी राज्य को किसी दूसरी सत्ता द्वारा दी नहीं जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका अर्थ होगा कि संप्रभुता से भी कोई ऊँची सत्ता है, जिसे संप्रभुता की अवधारणा नकारता है। और अगर संप्रभुता किसी के द्वारा दी जा सकती है तो उसके द्वारा छीनी भी जा सकती है। इसप्रकार संप्रभुता मौलिक रूप से राज्य के अस्तित्व के साथ जुड़ा रहता है।

Scanned with CamScanner

3. सर्वव्यापकता (All Comprehensiveness) – सर्वव्यापकता का अर्थ है कि राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों, समुदायों, संस्थाओं पर संप्रभुता की शक्ति कायम है। कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता है। सम्प्रभुता के समक्ष किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। राजनैतिक सम्प्रभुता का सिद्धांत राजदूतावासों के लिए अपवाद स्वरूप अपनाया जाता है, किंतु इसके पीछे अन्तर्राष्ट्रीय कानून, शिष्टता, सौजन्यता एवं राज्यों के बीच का पारस्परिक समझौता (Protocol) है। यह सम्प्रभुता सम्पन्न राज्यों की स्वीकृति एवं मान्यता पर आधारित है। इसलिए यह व्यवहार सर्वव्यापकता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है।

(4) स्थायित्व (Permanency – संप्रभुता स्थायी होती है, क्षणिक या अस्थायी नहीं। प्रायः सरकार के साथ सम्प्रभुता को जोड़ देने के कारण ऐसा भ्रम हो जाता है। सरकारों के आने-जाने से संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि संप्रभुता का संबंध सरकार से नहीं राज्य से है। अर्थात् जैसा कि गार्नर ने लिखा है, "स्थायित्व से आशय यह है कि जबतक राज्य कायम रहता है तबतक सम्प्रभुता कायम रहती है।

(5) अपृथक्करणीयता (Inalienability)

संप्रभुता को राज्य से अलग या पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसा करने का अर्थ है राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाना। गार्नर का कथन स्पष्ट है, "सम्प्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिसप्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है, उसे किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है। यही भी स्पष्ट है कि युद्ध में राज्य का कुछ क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं रहने के बावजूद जबतक राज्य का अस्तित्व है, संप्रभुता भी बनी रहेगी।

Scanned with CamScanner

(6) अनन्यता (Exclusiveness) - इसका अर्थ है कि, राज्य में केवल एक ही प्रभुशक्ति हो सकती है। इसी शक्ति के पास कानूनी तथा व्यावहारिक वैधता होती है, जिसकी आज्ञा का पालन जनता द्वारा किया जाता है। राज्य के अन्दर एक से अधिक प्रभु शक्ति को मान लेना संप्रभुता की व्यवस्था के विरुद्ध है।

(7) अविभाज्यता (Indivisibility) - सम्प्रभुता का विभाजन भी नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है उसे नष्ट करना, राज्य को नष्ट करना। संघात्मक व्यवस्था में संघीय इकाईयों या किसी प्रशासकीय इकाई को संप्रभुता के विभाजन के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। गैटेल ने ठीक ही लिखा है कि "प्रभुता का विभाजन केवल एक होता है।"

संप्रभुता के एकत्ववादी दृष्टिकोण की उपर्युक्त विशेषताओं की आलोचना बहुलवादी विचारकों द्वारा किया जाता है। वे संप्रभु के निश्चित वास स्थान, संसदीय एवं प्रजातांत्रिक प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्देशों का पालन आदि के आधार पर एकत्ववादी सिद्धांत पर अपनी आपत्तियाँ व्यक्त करते हैं। यह सच है कि वर्तमान में सम्प्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण की लोकप्रियता स्थापित है, किन्तु सम्प्रभुता की शास्त्रीय व्याख्या के रूप में उसका महत्त्व कम नहीं हो सकता। जहाँ कहीं राज्य की सार्वभौम सत्ता, स्वतंत्रता, प्रभावशीलता आदि की बात होती है, उसे स्पष्ट करने में संप्रभुता का एकत्ववादी दृष्टिकोण ज्यादा उपयोगी है।